न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट,दौसा

पीठासीन अधिकारी	–	मोहरसिंह मीना (आरएएस)
	–	उपखण्ड अधिकारी, लालसोट
मुकदमा नम्बर	–	120/20
निर्णय दिनांक	–	02-11-22

रामप्रसाद बनाम् प्रभूलाल

प्रार्थना पत्र अ0आ0 22 नियम 3 सीपीसी

संक्षेप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश कुमार शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी डिडवाना तहसील लालसोट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया कि उनवानी प्रकरण के वादी रामप्रसाद का निधन दिनांक 17.07.2021 को हो गया है। स्व0 श्री रामप्रसाद ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थी के नाम अपनी चल अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 11.01.2021 का कर प्रार्थी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था इस कारण स्व0 रामप्रसाद की मृत्यु के बाद उनका एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थी ही है। इस कारण वादी स्व0 श्री रामप्रसाद का नाम विलोपित उसके स्थान पर प्रार्थी को प्रतिस्थापित किया जावे। यह कहते हुए प्रार्थी द्वारा मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार कर मृतक रामप्रसाद के स्थान पर प्रार्थी को प्रतिस्थापित करवाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता को नकल दिलवाइ गई तथा जबाव चाहा गया। वकिल प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा जिस वसीयत नामे के आधार पर स्वय को मृतंक रामप्रसाद का उत्तराधिकारी बताया है वह वसीयत अन्रजिस्टर्ड है तथा दावा दायरी के पश्चात् की है जो प्रथम दृष्ट्या ही संदेहास्पद है क्योंकि मृतक रामप्रसाद के विधि वारीसान उसके पुत्र व पुत्रीया मौजूद है इसलिए तथाकथित वसीयत के संबंध में सर्वप्रथम आवेदक को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट लाना आवश्यक है इसके पश्चात् ही मृतक रामप्रसाद की सम्पत्ति में हक हिस्सा की मांग कर सकता है। इससे पूर्व मृतक रामप्रसाद का प्रार्थी को विधिक वारीस नहीं कहा जा सकता है इस कारण प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल ही नहीं है। आगे वकिल अप्रार्थी/प्रतिवादी का कथन है कि इन्ही आधारो पर माननीय न्यायालय आएए कैम्प कोर्ट लालसोट से अपील न0 51/21 में दिनांक 29.06.2022 को निर्णय हो चुका है जिसके अनुसार प्रार्थी राकेश को स्व0 रामप्रसाद का वारीस नहीं माना है। स्व0 रामप्रसाद

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (र

के विधिक वारीसान पूर्व से ही मौजूद है जिसकी आदेश 22 नियम 5 सीपीसी अनुसार जांच करवाई जावे तथा प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

जवाब प्रार्थना–पत्र की नकल अधिवक्ता प्रार्थी/वादी को दिलवाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र नियत की गई। दिनांक को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रामप्रसाद पिता सुवालाल दिनांक 17.01.2021 को फौत हो गया है और वसीयत के आधार पर उनके पौत्र की तरफ से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार योग्य है। वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्य की " वसीयत अनरजिस्टर्ड है और मृतक के पुत्र पुत्रिया है, उत्तराधिकारी के रूप में उन्हे आना चाहिए तथा मुझ प्रार्थी को उत्तराधिकारी घोषित करके आना चाहिए" का खण्डन करते हुए अनरजिस्टर्ड वसीयत को वैध बताया तथा इसके समर्थन में न्यायिक 2006(1)आरआरटी 177 पेश किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया की वसीयत किसी भी कागज पर लिखी जा सकती है जिसे रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। न्याय की दृष्टि में रजिस्टर्ड और अन्रजिस्टर्ड वसीयत वैधता समान है तथा वसीयत के संबंध में न्यायालय से प्रोबेट लेना आवश्यक नहीं है उक्त कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा अन्य न्यायिक दृष्टांत 2002(2)आरआरटी 786, तथा 1984 आरआरडी पृष्ट संख्या 391 पेश कर मृतक वादी रामप्रसाद की वसीयत के आधार पर प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी जवाबी बहस में कहा कि मृतक के विधिक वारिसान की जांच होकर सीपीसी के प्रावधान अनुरूप विधिक प्रतिनिधि जो सबसे निकट है वह उसके पुत्र पुत्रिया ही है। इस वसीयत के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नही है। वकील अप्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई का भी जिक्र किया जो दिनांक 25.03.2021 को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई। उनका कहना है कि उक्त प्रार्थना पत्र की धारा 96 में प्रार्थी राकेश की ओर से अपील पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय आरएए ने जिस तथ्य पर अपील खारिज की है वे ही तथ्य इस प्रकरण पर भी लागू होते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय आरएए द्वारा अपील मेरिट पर डिसाइड नहीं हुई है प्रार्थी वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी के रूप में आया है प्रोबेट लेने की आवश्यकता है।

हमने प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गौर फरमाया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात्, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व माननीय न्यायालय आरएए के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रार्थी ने मृतक के उत्तराधिकारी बाबत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है जबकि वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यह सही है कि

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

वसीयत साधारण कागज पर भी लिखी जा सकती है और उसके लिए प्रोबेट लेने की आवश्यकता नहीं है उक्त तथ्य न्यायिक दृष्टान्त 2006(1)आरआरटी 177, 2002(2)आरआरटी 786, तथा 1984 आरआरडी पृष्ट संख्या 391 से साबित है। किन्तु जिस वसीयत के आधार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी ने हित निहीत होना बताकर मृतक का उत्तराधिकारी स्थापित किये जाने की बात कही है, उसका अभी तक क्रियान्वयन होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। रामप्रसाद की मृत्यु दिनांक 17.07.2021 को होने के उपरांत भी उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करवाने बाबत की गई कार्यवाही के तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह कही भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त वसीयत के आधार पर उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत कोई कार्यवाही की गई हो। वसीयत धारक के लिए यह आपेक्षित था कि वह वसीयत के आधार पर नमांतरकरण के संबंध में सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा किया जाना प्रकट नहीं होता है। चूँकि इस न्यायालय को वसीयत के आधार पर विधिक प्रतिनिधि मानने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो संलग्न पत्रावली रहे। निर्णय उभय पक्षो की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोहर सिंह मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट